

झारखण्ड सरकार
कृषि एवं गन्ना विकास विभाग

झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में समेकित कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं के जिलावार सूचीकरण (Empanelment) हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना।

झारखण्ड के बहुमुखी विकास में कृषि प्रक्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की कुल 79.9 लाख हे० भूमि में से मात्र 39 लाख हे० क्षेत्रफल खेती के योग्य है, किन्तु वर्तमान में मात्र 22.38 लाख हे० वर्षाश्रित एवं 2.54 लाख हे० में सिंचित खेती की जाती है।

2. झारखण्ड एक पठारी राज्य है। यहां की भूमि ऊँची-नीची है। इस राज्य में 70 प्रतिशत उपरवार जमीन है, जहां पर किसान सिर्फ वर्षा ऋतु में बोरो धान लेते हैं। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रदेश के किसान वर्षा आधारित खेती ही कर पाते हैं।
3. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य में कृषकों के आर्थिक स्थिति एवं राज्य में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु अनेक योजनाएँ कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।
4. समेकित कृषि विकास के सफल कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रचार-प्रसार करते हुए राज्य के कृषकों को कृषि एवं सम्बद्ध कृषि प्रक्षेत्र से संबंधित योजनाओं की जानकारी तथा ऐसे कृषकों की उक्त योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि कृषकों के साथ सतत् पारस्परिक समन्वय स्थापित किया जाय तथा उन्हें समय-समय पर आवश्यक मार्ग दर्शन एवं सुविधाएँ प्रदान करते हुये समेकित कृषि विकास के विकास की दिशा में राज्य में ठोस एवं प्रभावकारी कार्रवाई की जाए।
5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बतौर संसाधन संगठन (Resource Organisation) हेतु अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं स्वच्छ छवि वाले सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं के जिलावार सूचीकरण (Empanelment) की आवश्यकता है ताकि ऐसे संस्थानों/ संस्थाओं से विभाग के द्वारा सहयोग प्राप्त करते हुये संबंधित जिले के चयनित ग्रामों में समेकित कृषि विकास सुनिश्चित कराया जा सके।

6. सूचीबद्ध संस्थानों/ संस्थाओं के दायित्व निम्नवत् होंगे:-

1. राज्य में कृषि कार्यो/बागवानी कार्यो/सिंचाई कार्यो/जलछाजन कार्यो/कृषि सम्बद्ध प्रक्षेत्र कार्यो, यथा - पशुपालन/गव्य विकास/मुर्गीपालन/मत्स्य पालन, आदि हेतु दीर्घकालीन क्षेत्रीय कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करना।
 2. दीर्घकालीन क्षेत्रीय कार्य योजना के अनुरूप वर्षवार क्षेत्रीय कार्ययोजना एवं प्रस्ताव तैयार करना।
 3. संबंधित योजना के चयनित फसलों (सब्जी/फल/अन्य फसलों) एवं अन्य संबद्ध प्रक्षेत्रों हेतु पैकेज फॉर गुड प्रैक्टिसेस तैयार करना तथा इसके कार्यान्वयन हेतु किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
 4. संबंधित योजना हेतु डाटाबेस एवं सफल कहानियाँ (Success stories) तैयार करना।
 5. लाभुकों की पहचान, उत्प्रेरण प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने का कार्य करना।
 6. क्षेत्रीय स्तर पर कराए गए कार्यो का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/समवर्ती मूल्यांकन (Concurrent evaluation)/तृतीय पक्षीय मूल्यांकन (Third Party evaluation)/ इत्यादि करना।
7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जिलावार सूचीकरण हेतु इच्छुक संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा..के नाम से 500/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर कार्यालय से आवेदन प्राप्त किये जा सकते हैं।
विहित प्रपत्र समेति की वेबसाईट www.sameti.org से भी Download किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आवेदन के साथ 500/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक संस्था की प्रथमतः निम्नवर्णित अर्हताएँ होनी अनिवार्य है :
- (i.) संस्था का विधिवत् निबंधन एवं न्यूनतम तीन (3) वर्षों का अनुभव
 - (ii.) समेकित कृषि विकास कार्य में न्यूनतम तीन (3) वर्षों का अनुभव
 - (iii.) विशेषज्ञों की उपलब्धता
 - (iv.) आधारभूत संरचना की उपलब्धता

- (v.) झारखण्ड में कार्यालय की उपलब्धता
- (vi.) विगत तीन सालों के अंकेक्षण प्रतिवेदन की उपलब्धता
- (vii.) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम औसत वार्षिक 5.00 लाख रु० की योजनाओं का कार्यान्वयन
- (viii.) संस्था अथवा उसके किसी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो
9. आवेदक संस्था के द्वारा आवेदन की शर्तों को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न सूचनाएँ/कागजात जमा किये जायेंगे, जिनपर “..... (जिले का नाम) जिले में समेकित कृषि विकास कार्यक्रम में सहयोग देने हेतु सूचीकरण के लिये आवेदन ” अंकित किया जायेगा।
10. आवेदक संस्था के द्वारा बतौर प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन के साथ..... के नाम से 2000/-रु० का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जाएगा जिसे लौटाया नहीं जाएगा ।
11. इच्छुक सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थानों/स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा दिनांक को संध्या 5:00 बजे तक प्रत्येक जिले के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
12. प्राप्त आवेदन पत्रों को दिनांक को पूर्वाह्न 11:00 बजे इस प्रयोजन हेतु तकनीकी समिति के समक्ष खोला जायेगा एवं संस्थाओं द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जायेगा।
13. आधे-अधूरे तथा नियत समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
14. किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधोहस्ताक्षरी का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

निदेशक समेति
झारखण्ड, रांची।

मुख्य शर्तें:-

- 2.1 इच्छुक सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों/स्वयंसेवी संस्था के द्वारा अपना निबंधन प्रमाण पत्र, विगत तीन वर्षों का आय-व्ययक लेखा जोखा, पैन (PAN) संख्या, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रासंगिक कागजात विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- I) में समर्पित करने होंगे।
- 2.2 संस्था को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि संस्था अथवा उसके किसी भी पदाधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा संस्था के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा आपराधिक मुकदमे में कोई दंडादेश पारित नहीं किया गया है (परिशिष्ट- I)।
- 2.3 संस्था को कम से कम (3) वर्षों का कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के क्षेत्रों में कार्यानुभव होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक विवरणी (परिशिष्ट- II) में समर्पित की जाए।
- 2.4 आवेदन के साथ उक्त संस्था में कार्यरत विशेषज्ञ पदाधिकारियों की योग्यता, अनुभव, इत्यादि की विवरणी विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- III) में संलग्न रहनी अपेक्षित है।
इस क्रम में संस्था के पास कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र से संबंधित विषय के विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनकी निम्नतम न्यूनतम योग्यता कृषि/पशुपालन में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए।
- 2.5 संस्था के पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं जैसे - भवन, वाहन, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण सुविधाएं, कम्प्यूटर, एवं अन्य मशीन उपकरण, आदि का स्पष्ट व्यौरा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-IV) में उल्लेखित होना चाहिए।
- 2.6 संस्था के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु अवधारणा (Concept), विस्तृत कार्य योजना (Action Plan), इत्यादि का विभागीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना होगा, जिस क्रम में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र में सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मानव शक्ति की विवरणी भी तर्क के साथ समर्पित किया जाना अपेक्षित है।
- 2.7 विगत तीन वर्षों के दौरान संस्था के द्वारा औसतन वार्षिक रु05.00 लाख की योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधी प्रतिवेदन होना चाहिए।
- 2.8 संस्था का गत् तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न होना चाहिए।
- 2.9 संस्था का झारखण्ड में अपना कार्यालय होना चाहिए, जो विगत कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो।

3. आवेदक संस्थाओं के तकनीकी मूल्यांकन हेतु मापदण्ड :-

3.1 सूचीकरण (Empanelment) हेतु निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर संस्थाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। यह भी प्रस्तावित है कि यह तकनीकी मूल्यांकन कुल 100 अंको का होगा तथा सूचीकृत होने हेतु किसी संस्था को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे :-

क्रमांक	न्यूनतम मापदण्ड	मूल्यांकन का मानदण्ड	अधिकतम अंक	
1.	संस्था का सामान्य अनुभव (न्यूनतम तीन वर्ष)	1 अंक प्रति वर्ष	15 अंक	
2.	कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र क्षेत्र में अनुभव (न्यूनतम तीन वर्ष)	2 अंक प्रति वर्ष	20 अंक	
3.	संस्था द्वारा तैयार की गई कार्य योजना/ कार्य प्रस्ताव पर	विभागीय तकनीकी समिति के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर (10 मिनट अवधि का)	15 अंक	
4.	आधारभूत भौतिक सुविधा उपलब्धता :-			
(i)	कार्यालय भवन	निजी	3	3 अंक
		किराए पर	1	
(ii)	वाहन	निजी	2.5	5 अंक
		किराए पर	1	
(iii)	स्वामित्वाधीन कम्प्यूटर सिस्टम (यू0पी0एस0 एवं प्रिंटर सहित)	2.5 अंक/ सिस्टम	5 अंक	
(iv)	स्वामित्वाधीन फैक्स	1 अंक / फैक्स	1 अंक	
(v)	स्वामित्वाधीन दूरभाष	1 अंक / दूरभाष	1 अंक	
(अ)	संस्था के परियोजना कार्यकारी दल के मुख्य पदधारकों की शैक्षणिक योग्यता तथा कार्यकुशलता:-			
(i)	शैक्षणिक योग्यता	डिग्री (4 अंक) डिप्लोमा (2 अंक)	20 अंक	
(ii)	कार्यानुभव	1 अंक प्रति अतिरिक्त वर्ष (3 वर्ष के पश्चात्)	15 अंक	
		कुल	100 अंक	

3.2 संस्था के परियोजना कार्यकारी दल में निम्नांकित मुख्य पदधारक होना आवश्यक है :

3.3

क्रमांक	पदनाम	संख्या
i.	समूह प्रमुख (Team leader)	1
ii.	कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ	1
iii.	सामुदायिक संगठक (Community Organizer)	1
iv.	महिला समन्वयक (Women Coordinator)	1

4.0 जिलावार सूचीबद्ध संस्था के किसी कार्य हेतु चयन प्रक्रिया :

4.1 राज्य के किसी भी जिले में कृषि एवं संबंधित प्रक्षेत्र के विकास हेतु उक्त जिले की सूचीबद्ध समस्त संस्थाओं को विभाग के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण करने हेतु निदेशित किया जाएगा। यह प्रस्तुतिकरण इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के समक्ष ऐसी संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा ।
उक्त समिति के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के क्रम में अधिकतम 100 अंक प्रदान किए जाएंगे ।

4.2 सूचीबद्ध इच्छुक ऐसी समस्त इच्छुक संस्थाओं के द्वारा कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् प्रसंगाधीन कार्य हेतु सभी कर, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय बीड समर्पित की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला जाएगा ।

विभिन्न संस्थाओं के द्वारा वित्तीय बीड में उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर उद्धृत करने वाली संस्था को 100 अंक देते हुए इसी अनुपात में अन्य संस्थाओं को अंक प्रदान किए जाएंगे ।

4.3 किसी जिले में प्रसंगाधीन कृषि प्रक्षेत्र से सम्बद्ध कार्य कराने हेतु निम्नांकित अनुपातिक अधिभार (Proportional Weightage) देते हुए मूल्यांकन किया जाएगा :

क	तकनीकी मूल्यांकन	50 प्रतिशत
ख	कार्य योजना प्रस्तुतिकरण	25 प्रतिशत
ग	वित्तीय बीड	25 प्रतिशत

इस प्रकार मूल्यांकन के उपरांत सर्वाधिक कुल अंक प्राप्त करने वाली संस्था के साथ प्रसंगाधीन कार्य करने हेतु विभाग अथवा विभाग के द्वारा प्राधिकृत अनुवर्ती कार्यालय के द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षरित करते हुए निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य संपन्न कराया जाएगा ।

4.4

प्रसंगाधीन कार्य के नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु विभाग अथवा अनुवर्ती कार्यालय में अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की जाएगी ताकि ससमय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ।

परिशिष्ट- I

गैर सरकारी संस्था/स्वयं सेवी संस्था के सूचीकरण (Empanelment) हेतु आवेदन पत्र का विहित-प्रपत्र

1	संस्था का नाम		
2	संस्था का स्थानीय कार्यालय एवं डाक पता		
	टेलीफोन नं०/फैक्स न०/ई० मेल सहित		
3	संस्था के मुख्यालय का डाक पता		
	टेलीफोन नं०/फैक्स न०/ई० मेल सहित		
4	संस्था के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी का नाम और डाक पता		
	टेलीफोन नं०/फैक्स न०/ई० मेल सहित		
5	संस्था के बोर्ड के सदस्यों का नाम और डाक पता (अलग से पृष्ठ संलग्न करें)		
	टेलीफोन नं०/फैक्स न०/ई० मेल सहित		
6	निबंधन अधिनियम, निबंधन संख्या एवं निबंधन की तिथि (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
7	चैन नं० (अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
8	संस्था की बेबसाईट (अगर हो) यू०आर०एल०		
9	संस्था का कुल कार्यानुभव (वर्षों में) (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
10	कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र में कार्यानुभव (वर्षों में) (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
i	उपलब्ध भौतिक आधारभूत संरचनाओं संबंधी विवरणी (संलग्न करें)		
ii	भवन निजी (स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
iii	भवन किराये पर (किराये संबंधी दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
iv	वाहन निजी (स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
v	स्वामित्वाधीन कम्प्यूटर सिस्टम (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
vi	स्वामित्वाधीन फैक्स (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		
vii	स्वामित्वाधीन टेलीफोन (दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)		

परिशिष्ट - II

संस्था का कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र में कार्य अनुभव

संस्था नाम :

क्रमांक	वर्ष	जिला (नाम)	प्रखंड (नाम)	पंचायत (नाम)	कराए गए कार्यों की विवरणी				अभ्युक्ति
					प्रक्षेत्र (Sector)	लागत (रु० में)	कार्य विवरणी (संक्षिप्त)	लाभान्वित व्यक्ति (संख्या)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट - III

संस्था के परियोजना कार्यकारी दल के विशेषज्ञों की योग्यता एवं कार्य अनुभव

क्रमांक	कार्यकारी दल (सदस्य)			शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता प्रक्षेत्र	कार्य अनुभव	विशिष्ट अनुभव/उपाधि आदि	अभ्युक्ति
	नाम	पदनाम	डाक पता, मोबाईल संख्या, ई मेल पता					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट - IV

संस्था की आधारभूत संरचनाएँ

संस्था नाम :

क्रमांक	आधारभूत संरचना (नाम)	संरचना प्रकृति (चल/अचल)	पता (अचल)/निबंधन संख्या (चल)	मूल्य विवरणी		अभ्युक्ति
				कय वर्ष	कय लागत (रु० में)	
1	2	3	4	5		7

परिशिष्ट V

शपथ पत्र

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती.....
पिता/पति श्री पता
.....पो0 थाना जिला
स्वेच्छापूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे संस्था की ओर से
यह शपथ पत्र दायर करने हेतु विधिवत् अधिकृत किया गया है।

मैं शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि यह संस्था या
इसके किसी भी पदधारक को किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था के द्वारा काली सूची में नहीं
डाला गया है तथा इस संस्था के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है अथवा आपराधिक
मुकदमा में कोई दण्डादेश पारित नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी विवरणी मेरे सूचना एवं संज्ञान में सत्य हैं।

यदि कोई असत्य/मिथ्या विवरणी पायी जाती है तो इसके लिए मेरे विरुद्ध
आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

नाम :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर